

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर

क्रमांक :-प.32(बी)(1)आब/एल/2021-22/2337

दिनांक : 22.02.2021


देशी मदिरा, विदेशी मदिरा एवं बीयर की कम्पोजिट रिटेल ऑफ दुकानों के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन एवं ई-नीलामी दिनांक में संशोधन बाबत सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राज्य में आबकारी बन्दोबस्त हेतु देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा (RML), भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL) एवं बीयर की रिटेल ऑफ दुकानों (कम्पोजिट दुकानों) के अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए आबकारी नीति 2021-22 के अनुसार भारत सरकार के उपक्रम एम.एस.टी.सी. लिमिटेड के माध्यम से ई-नीलामी (ई-बोली) हेतु विभिन्न चरणों में प.32(बी)(1)आब/एल/2021-22/2274 व 2276 दिनांक: 07 फरवरी, 2021 एवं प.32(बी)(1)आब/एल/2021-22/2318 दिनांक :19 फरवरी, 2021 से ई-बोली आमंत्रित की गई है।
2. माँग व सभी को पर्याप्त समय उपलब्ध कराने हेतु आवेदन की अंतिम तिथि व नीलामी की दिनांक में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है। नीलामी का समय पूर्वानुसार प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक रहेगा। नीलामी एक कार्य दिवस में न्यूनतम पांच घण्टे की होगी एवं उसके पश्चात् जब तक बोली लगती रहे तब तक 10 मिनट के अन्नत विस्तार (indefinite extension) तक जारी रहेगी।

क्रं सं.	पूर्व में घोषित नीलामी की दिनांक	नीलामी की नवीन दिनांक	आवेदन करने की नवीन अंतिम तिथि
1	23.02.2021	03.03.2021	02.03.2021
2	24.02.2021	04.03.2021	03.03.2021
3	25.02.2021	05.03.2021	04.03.2021
4	26.02.2021	09.03.2021	08.03.2021
5	27.02.2021	10.03.2021	09.03.2021

3. आवेदन:- आवेदन की प्रक्रिया दिनांक 12.02.2021 को प्रातः 11:00 बजे से प्रारम्भ है तथा प्रत्येक चरण हेतु निर्धारित नीलामी की दिनांक से एक दिन पूर्व को रात 11:59 पी.एम. तक चालू रहेगी।
4. अन्य शर्तें पूर्ववत रहेगी।

उपर्युक्त के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश, शर्तें तथा अनुज्ञापन हेतु उपलब्ध दुकानों की निर्धारित सूची मय विवरण विभागीय वेबसाईट <https://www.rajexcise.gov.in> एवं एम.एस.टी.सी.लिमिटेड की वेबसाईट <https://www.mstcecommerce.com> पर उपलब्ध है।


आबकारी आयुक्त,
राजस्थान उदयपुर।